



पं.सं.श. केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल –462002
PSS Central Institute of Vocational Education, Bhopal
(राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद)
(National Council of Educational Research and Training)
Phone No. 0755-2660691 Fax : 0755-2927347, 2660580

Tender Document fees-Rs. 100/- (Non-Refundable)

Bid Reference No. 02/2022/PSSCIVE/CONDEMATIION E-waste/2021-22

निविदा प्रपत्र (Tender Document)

“संस्थान के पुराने कन्डम E-waste Material की खुली नीलामी / निपटान हेतु निविदा प्रपत्र”

S.No.	Name of Items	
1.	E-waste Material	Lot

* संस्थान के पुराने E-waste Material “जहां है जैसा है जितना है के आधार पर” खुली नीलामी किये जाने हेतु।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील



पं.सुं.श. केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान

(राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की इकाई, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत)

श्यामला हिल्स, भोपाल (म0प्र0) – 462002

फोन : 0755-2660691, फैक्स : 2660580, 2660580

पं.सुं.श. केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल की अनुपयोगी सामग्री संस्थान के E-Waste की खुली नीलामी

संस्थान ने “जहां है जैसी है जितना है” के आधार पर संस्थान के अनुपयोगी सामग्री व संस्थान के E-Waste, Unserviceable Material (T.V., Computer, Printer, Scanner, UPS, UPS Battery, Photocopy Machine, etc.) की नीलामी दिनांक 01.06.2022 को 2:30 बजे की जावेगी।

क्र.	सामग्री का “जहां है जैसी है जितना है” के आधार पर सामग्री का प्रकार	सुरक्षा निधि राशि (रुपये)
01.	E-Waste, Unserviceable Material (T.V., Computer, Printer, Scanner, UPS, UPS Battery, Photocopy Machine, etc.)	10,000.00 (रुपये दस हजार मात्र)

निविदाकर्ताओं हेतु नीलामी के निर्देश एवं शर्तें :-

1. सामग्री की नीलामी ढेर (Lot) में की जावेगी।
2. निविदा प्रपत्र रु.100.00 (रुपये एक सौ मात्र) (अप्रतिदेय) नगद/डी.डी./बैंकर्स चैक जमा कर, संस्थान के केन्द्रीय भण्डार कक्ष क्र. H-4 से दिनांक 09.05.2022 से 27.05.2022 तक प्रातः 10:00 से सायं 04:30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
3. समस्त सामग्री, ढेर (Lot) के लिये सुरक्षा निधि (EMD) के रूप में रु.10,000.00 (रुपये दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि “**Joint Director, PSS Central Institute of Vocational Education, Bhopal**” के नाम से देय हो, जमा करना होगा।
4. निविदा प्रपत्र संस्थान की वेबसाईट www.psscive.ac.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है तथा निविदा प्रपत्र शुक्ल निविदा प्रपत्र के साथ रु.100.00 (रुपये एक सौ मात्र) का डिमांड

ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि “**Joint Director, PSS Central Institute of Vocational Education, Bhopal**” के नाम से देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी।

5. निविदा प्रपत्र सुरक्षा निधि के साथ अंतिम तिथि 30.05.2022 को सायं 4:30 बजे तक जमा किये जा सकते हैं।
6. निविदा प्रपत्र के साथ म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, (*Documents Related to the registration of the Recycler/ Pre-processors of E-waste issued by MP Pollution Control Board, Bhopal for the recycling/ reprocessing of Electronic waste. (Obsolete/ Unserviceable desktop Computer, UPSs, Printers, Scanners, etc.)*) आधार कार्ड, पेन कार्ड, जी.एस.टी प्रमाण पत्र की छाया प्रति अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
7. निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र में अपेक्षित सभी जानकारियों को संबंधित दस्तावेजों के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
8. निविदा से सम्बन्धित सुरक्षा निधि हेतु सामान्य चैक स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।
9. सामग्री का निरीक्षण कार्यालयीन समय में दिनांक 11 एवं 12 मई, 2022 को दोपहर 02:00 से सायं 4:30 बजे तक किया जा सकता है।
10. नीलामी प्रक्रिया में जिस बोलीदार की बोली दर उच्चतम (Highest) होगी, संस्थान के द्वारा स्वीकृत की जायेगी तथा बोली की 25% राशि तुरन्त उसी समय जमा करनी होगी तदोपरांत बोलीदार को संबंधित नीलामी आदेश जारी किया जायेगा, जिसके तारतम्य में संबंधित आदेश के अनुरूप संबंधित बोलीदार को आदेश में अंकित तिथि तक संबंधित ढेर (Lot) हेतु लगाई गई बोली की शेष राशि संस्थान के लेखा अनुभाग में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सामान्य वित्तीय नियमावली का पालन करते हुये सुरक्षा निधि जब्त कर ली जायेगी।
11. समस्त सामग्री ढेर (Lot) हेतु न्यूनतम विक्रय/आरक्षित मूल्य की घोषणा नीलामी की निर्धारित तिथि को उसी समय बोली शुरू होने से पूर्व समस्त बोलीदारों के समक्ष की जावेगी।
12. बोलीदाता द्वारा प्रत्येक बोली न्यूनतम रु.500.00 के अन्तर में ही लगाई जावे।
13. निविदा प्रपत्र के नियम एवं शर्तों का पूर्ण पालन करने वाले निविदाकारों में से जिस निविदाकार की बोली उच्चतम होगी, संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लेने के उपरान्त नीलामी आदेश जारी किया जावेगा तथा संस्थान द्वारा निर्धारित राशि अर्थात् आरक्षित मूल्य (Reserve Price) से कम की बोली को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
14. जिस निविदाकार को सम्बन्धित निविदा नीलामी आदेश दिया जावेगा, उसे आदेश प्राप्ति के दो दिन के अन्दर लगाई गई उच्चतम बोली की कुल धनराशि जमा कर, अगले पाँच दिन के अन्दर

समस्त सामग्रियों को संस्थान परिसर से बाहर स्वयं के व्यय पर ले जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा संस्थान की सम्बंधित सामग्रियों हेतु कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं निर्धारित समयोपरान्त रु.500.00 प्रतिदिन पैनाल्टी देनी होगी।

15. निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत, समस्त निविदाकारों में से जिस निविदाकार की संबंधित नीलामी योग्य सामग्रियों के लिये सबसे उच्चतम दर (एच-1) होगी को नीलामी आदेश जारी किया जायेगा एवं संबंधित निविदाकार को निर्धारित समय सीमा में संबंधित धनराशि, जो उच्चतम बोली लगाई गई होगी, को वह संस्थान में जमा कर, संबंधित ढेर (Lot) के अनुसार सामग्रियों को संस्थान के बाहर ले जाना होगा। इस संबंध में यदि संबंधित निविदाकार नीलामी आदेश के अनुरूप राशि को जमा नहीं करता है एवं संबंधित समय सीमा का उल्लंघन करता है तो, उसकी सुरक्षा निधि को जब्त करते हुये, निविदा के अन्य निविदाकार को क्रमवार (एच-2, एच-3) की उच्च दरों के अनुरूप संस्थान के द्वारा नीलामी आदेश, इस शर्त पर दिया जा सकता है कि संबंधित निविदाकार प्रथम एच-1 की दर के अनुरूप राशि जमा करें। जारी किया जा सकता है।
16. असफल निविदाकर्ता को उनके द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि राशि की वापसी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के एक माह के अन्दर वापस की जावेगी।
17. संबंधित निविदा हेतु यदि कोई निविदाकार उससे संबंधित कोई भी गलत जानकारी प्रस्तुत करता है, तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
18. यदि कोई भी निविदाकार संबंधित निविदा की प्राप्ति हेतु किसी भी प्रकार का अनैतिक प्रयास करता है, तो संबंधित निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
19. बोलीदार द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर समस्त सामग्री (लॉट) क्रय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में नीलामी सम्बंधी संपूर्ण शर्तें स्वीकार कर ली गयी हैं, ऐसा माना जायेगा तथा शर्तों के विरुद्ध ऐसा कोई न्यायलयीन वाद मान्य नहीं किया जायेगा।
20. सक्षम अधिकारी को किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने तथा नीलामी का आंशिक या पूर्ण रूप से रोकने अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा।
21. बोली के दौरान केवल बोलीदार को ही प्रवेश दिया जाएगा।
22. निविदा से संबंधित विवाद, यदि कोई हो तो न्यायक्षेत्र, भोपाल होगा।

अवर सचिव

ANNEXURE- I

संस्थान के पुराने कन्डम E-Waste की नीलामी/निपटान हेतु इच्छुक निविदाकार हेतु इच्छुक निविदाकार का पूर्ण विवरण एवं इस हेतु जमा की जाने वाली सुरक्षा निधि का विवरण प्रपत्र

निविदाकार का नाम	—	
पता	—	
आधार कार्ड नं.	—	
पेन कार्ड नं.		
जी.एस.टी प्रमाण पत्र		
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र <i>(Documents Related to the registration of the Recycler/ Pre-processors of E-waste issued by MP Pollution Control Board, Bhopal for the recycling/ reprocessing of Electronic waste. (Obsolete/ Unserviceable desktop Computer, UPSs, Printers, Scanners, etc.)</i>		
टेलीफोन/मोबाईल नंबर	—	
सुरक्षा निधि की राशि	—	Rs. _____
बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, नं. दिनांक		
बैंक एवं शाखा का नाम		

मैंने निविदा प्रपत्र पर संदर्भित निर्देश, नियम एवं शर्तें पढ़ ली हैं और मुझे मान्य है।

स्थान

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

पता